वित्त निर्देश 13/2008

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 106/सी-17958/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 09.05.2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम 2008 (क्रमांक 07 सन् 2008) आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिकी-आयु में वृद्धि ।

संदर्भः- 1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 268/216/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 11.09.07
2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 296/216/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 11.10.07

प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए संदर्भित ज्ञापनों द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के लिये निर्धारित अधिवार्षिकी आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु निर्देश जारी किये गये है ।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ''छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987'' की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्वति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा आयुर्वेद शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम 20 वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते वह संबंधित आयुर्वेद शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो, की अधिवार्षिकी आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए ।

3. तद्नुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) (क्रमांक 07 सन् 2008) दिनांक 29.04.2008 में प्रकाशित किया जा चुका है । छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 1.4.2007 से प्रभावशील होगा अर्थात माह अप्रैल 2007 में 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा, परंतु दिनांक 1.4.2007 और इस अध्यादेश की प्रकाशन की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान चिकित्सा शिक्षक की मृत्यु होने पर इस अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

4. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जो दिनांक 1.4.2007 और इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख के बीच पूर्व नियमों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है उनकी आगामी कर्त्तव्य अवधि उनके शासकीय सेवा में पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी । ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षकों को दिनांक 31.5.2008 तक अनिवार्य रूप से कार्य पर उपस्थित होना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि वे पुनः शासकीय सेवा में लौटने के इच्छुक नहीं है । ऐसे चिकित्सा शिक्षक जो अभी तक पुनः कार्य पर उपस्थित नहीं हुये हैं, के मामले में उनके पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा शासन के इस निर्णय से उनको तत्काल लिखित में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना विभागाध्यक्ष को भी दी जायेगी । समस्त लौटाये जाने वाले स्वत्वों के शासकीय खजाने में जमा करने के बाद ही पुनः कार्यग्रहण की पात्रता होगी । उनकी सेवानिवृत्ति एवं पुनः कार्यग्रहण की अवधि के बीच के व्यवधान का निराकरण तथा सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये गये स्वत्वों एवं नवीन पदस्थापना का निराकरण निम्नानुसार किया जाएगा -

(1) सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनः कार्यग्रहण की तिथि तक की व्यवधान अवधि के निराकरण हेतु आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक के निवेदन पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसके खाते में जमा अवकाश अथवा अन्य अवकाश न होने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(2) आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक के सेवानिवृत्ति पश्चात यदि पेंशन/उपदान अथवा पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान का भुगतान कर दिया गया हो तो ऐसे भुगतान की संपूर्ण राशि एकमुश्त में पेंशन मद (मुख्य शीर्ष 0071) में जमा करते हुए कोषालय अधिकारी से प्रमाणित चालान की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(3) यदि अवकाश नगदीकरण की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि एकमुश्त में शासकीय खजाने में वापस जमा करना आवश्यक होगा तथा उक्त अवकाश को अवकाश खाते में पुनः जमा दिखाया जायेगा ।

(4) आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक जो सेवानिवृत्ति के समय समूह बीमा योजना के सदस्य थे, को यदि समूह बीमा योजना के बचत निधि में जमा राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो पुनः कार्यग्रहण के पूर्व भुगतान की गई संपूर्ण राशि व्यवधान अवधि के अंशदान सहित मुख्य शीर्ष 8011 समूह बीमा योजना में जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू

रहेगी । किन्तु ऐसे व्यक्तियों की परिवार कल्याण निधि में जमा राशि का यदि भुगतान कर दिया गया हो तो उसे वापस जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के समय परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य थे तथा उन्हें नियमानुसार योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गई संपूर्ण राशि संबंधित शीर्ष 8342 परिवार कल्याण निधि में वापस जमा करना होगा तथा योजना यथावत् लागू रहेगी ।

(6) आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पर गृह नगर जाने हेतु यात्रा भत्ते का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो उक्त राशि उसके द्वारा शासकीय कोष में वापस किया जायेगा किन्तु यदि वह राशि वापस जमा नहीं करना चाहता है तो उससे इस बाबत् एक लिखित घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसे सेवानिवृत्ति पर या सेवा अवधि में उसकी मृत्यु होने पर परिवार को गृह नगर की यात्रा हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी । यह घोषणा पत्र उसकी व्यक्तिगत नस्ती में रखा जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी ।

(7) यदि सेवानिवृत्ति पर आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक के सामान्य भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान कर दिया गया है तो उसे भुगतान की गई समग्र राशि एकमुश्त शासन के लोक लेखा में शीर्ष 8009 में वापस जमा करना होगा तथा महालेखाकार को उक्त शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते को पुनः चालू करने हेतु निवेदन करना होगा ।

(8) सामान्यतः आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक को वह जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है उसी पद पर कार्यग्रहण करना होगा किन्तु यदि वह पद रिक्त न हो तो किसी भी समान रिक्त पद पर उसे पदस्थापित किया जायेगा ।

(9) यदि आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक के सेवानिवृत्ति से संवर्ग में रिक्त हुए पद पर किसी अन्य शासकीय सेवक को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तथा संवर्ग में कोई समान पद रिक्त न हो तो उस पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटाया नहीं जायेगा वरन् सेवानिवृत्ति व्यक्ति के लिए संवर्ग में एक सांख्येतर पद निर्मित किया जाकर उसे उस पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा संवर्ग में कोई भी समान पद रिक्त होने पर उसे उस पद के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा ।

5. ऐसे आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक जो इस आदेश के लागू होने की तिथि अर्थात 1.4.2007 पर सेवावृद्धि, पुनःनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत् अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 107/सी-17958/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 09.05.2008

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.finance.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग